न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ जिला झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी–जयसिंह
(आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर 06/2023 & GCMS NO.2023/20 दायर दिनांक–11–01–2023

पूर्णसिंह पुत्र श्री डालूराम कौम जाट निवासी ढाका की ढाणी (अगूणी) तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।

––वादी

बनाम

1. बोदूराम पुत्र श्री दीपाराम जाति जाट निवासी ढाका की ढाणी (अगूणी) तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।
2. महेन्द्र पुत्र श्री दीपाराम जाति जाट निवासी ढाका की ढाणी (अगूणी) तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।
3. राजपाल पुत्र श्री मूलचन्द जाति जाट निवासी ढाका की ढाणी (अगूणी) तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।
4. राजेन्द्र कुमार पुत्र श्री विधाधर जाति जाट निवासी ढाका की ढाणी (अगूणी) तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।
5. राजेश कुमार पुत्र श्री विधाधर जाति जाट निवासी ढाका की ढाणी (अगूणी) तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।
6. ओमप्रकाश पुत्र श्री गोपाल जाति जाट निवासी ढाका की ढाणी (अगूणी) तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।
7. प्रमोद कुमार पुत्र श्री मदनलाल (सरपंचनिधि) जाति माली निवासी दुर्जनपुरा तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।

––प्रतिवादीगण

वकील वादी : –श्री राजेन्द्र प्रसाद आर्य/सुभाष चन्द्र आर्य
वकील प्रति. :–एकपक्षीय

दावा :
स्थाई निषेधाज्ञा

–:: निर्णय ::–

दिनांक : 01-10-2024

वाद–पत्र का संक्षिप्त में **विवरण इस प्रकार है कि** :– वाके ग्राम ढाका की ढाणी स्थित खसरा नम्बर 491/384, 490/384 अवस्थित है जो कि वर्णित भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण की शामलाती खातेदारी की भूमि है जिसमें वादी रिकार्डड सहखातेदार काश्तकार है। भूमि खसरा नम्बर 491/384 काश्त की भूमि हे जबकि भूमि खसरा नम्बर 490/384 यद्यपि रिकार्ड में खातेदारी में दर्ज है लेकिन यह रास्ते के रूप में आवागमन के लिये सभी सहखातेदारों द्वारा छोड़ी गई जमीन है।

प्रतिवादी नम्बर 7 ग्राम पंचायत ढाणिया नवलगढ़ के सरपंच के पति है जो उनके स्थान पर सरपंच प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते है। यह प्रतिवादी संख्या 7 दिनांक 04.01.2023 को उपरोक्त भूमि खसरा नम्बर 490/384 पर आये उनके साथ प्रतिवादीगण नम्बर 1 लगायत 6 तक भी थे इन सभी ने मिलकर वादी की सहखातेदारी की रास्ते के लिये तैय जमीन खसरा नम्बर 490/384 पर ग्रेवल रास्ता नही बनाकर इन्होने वादी की सहखातेदारी की उपरोक्त भूमि खसरा नम्बर 491/384 में काफी दूरी में आकर अनाधिकृत ग्रेवल सड़क/रास्ता बनाने की कुचेष्टा की है व कहते है कि रास्ता खसरा नम्बर 490/384 हमारे तैय अनुसार ही कायम होगा वादी ने इन्हे वस्तुस्थिति से अवगत भी करवा दिया कि पटवारी हल्का से नापकर ग्रेवल सड़क उपरोक्त खसरा नम्बर 490/384 जहां पर नपती में मौके पर आये वहां बनावे लेकिन वे नही मान रहे है तथा कानून को हाथ में लेकर नाजायज कार्य करने पर उतारू है व वादी की उपरोक्त खातेदारी की भूमि को वेस्ट

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़ (झुन्झुनू)

Scanned with CamScanner

एवं डेमेज करने में लगे है, कहने पर भी ये नही मान रहे है। बिनाए मुखासत दावा हाजा वास्ते हुक्मइम्तनाई दवामी दिनांक 04.01.2023 को प्रतिवादीगण द्वारा भूमि खसरा नम्बर 490/384 (रास्ता स्थित सरहद ग्राम ढाका की ढाणी का आये तथा इन्होने मिलकर बिना पटवारी हल्का से नपती करवाये इस रास्ते की भूमि वादी की सहखातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 491/384 रास्ता मानकर ग्रेवल सड़क बनाने की कुचेष्टा करने व वादी के रोकने पर भी नही रूकने के कारण बमुकाम ग्राम ढाका की ढाणी अदालत हाजा के अधिकार क्षैत्र में पैदा हुआ।

वादी द्वारा वाद पत्र प्रस्तुत कर अनुतोष चाहा है कि वाद वादी डिक्री फरमाया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वादी के सहखातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 491/384 स्थित सरहद में ग्राम ढाका की ढाणी पटवार हल्का ढाणिया नवलगढ़ के अन्दर एवं इसके किसी भी भाग पर रास्ता/गेवल सडक का निर्माण नही करे/करवाये उक्त कार्य ना तो स्वयं करे एव ना ही अपने अन्य आदमियों से ही करवाये।

वाद-पत्र प्रस्तुत होने पर वाद अवलोकन दर्ज रजिस्टर किया तथा तलबी प्रतिवादीगण जारी की गई। प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 7 की सम्यक तामिल होने के उपरान्त इनकी ओर से कोई भी उपस्थित न्यायालय हाजा में नही होने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लायी गई। हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 7 की एक पक्षीय कार्यवाही होने की सुरत में हस्तगत प्रकरण में तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नही रहती है।

शहादत वादी ली गई। शहादत वादी में वादी स्वयं पूर्ण सिंह पुत्र श्री डालूराम कौम जाट निवासी ढाका की ढाणी तहसील नवलगढ़ उपस्थित न्यायालय होकर मुख्य परीक्षण के शपथ पत्र पेश किये। शहादत वादी ओर पेश नही करना जाहिर करने पर शहादत वादी बंद की गई। शहादत प्रतिवादी में प्रकरण एक पक्षीय कार्यवाही होने की सूरत में शहादत प्रतिवादी की आवश्यकता नही है। वादी ने अपने वाद-पत्र के समर्थन में दस्तावेज नकल जमाबंदी प्रदर्श-1 है, नक्शा प्रदर्श-2 है, जमाबंदी प्रदर्श-3 है, को प्रदर्शित करवाये।

शहादत पेश होने पर बहस वकील वादी सुनी गई। वकील वादी ने दौराने बहस वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया। बहस का मनन किया गया तथा पत्रावली एवं पत्रावली उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। रिकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट जाहिर होता है कि वाके ग्राम ढाका की ढाणी स्थित खसरा नम्बर 491/384, 490/384 अवस्थित है जो कि वर्णित भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण की शामलाती खातेदारी की भूमि है जिसमें वादी रिकार्डेड सहखातेदार काश्तकार है। भूमि खसरा नम्बर 491/384 काश्त की भूमि है जबकि भूमि खसरा नम्बर 490/384 यद्यपि रिकार्ड में खातेदारी में दर्ज है जो कि प्रदर्श-1 से 3 प्रमाणित है। चूंकि विवादग्रस्त भूमि वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 07 की अविभाजित सम्पति है। विवादग्रस्त भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 की संयुक्त खातेदारों की कब्जे काश्त की अविभाजित भूमि है जिसका अभी तक विधिवत विभाजन नहीं हुआ है। विवादग्रस्त भूमि शामलाती खातेदारी की भूमि है जिसमें प्रत्येक इंच-इंच पर प्रत्येक सह-खातेदार का कब्जा रहता है। शामलाती खातेदारी की भूमि रहने से कभी भी विवाद पैदा हो सकता है और सह-काश्तकार अपने हिस्से की कृषि भूमि का अच्छी तरह से विकास नहीं कर सकते है और ना ही किसी वित्तीय संस्थान से अनुदान प्राप्त कर सकता है। विवादग्रस्त कृषि भूमि संयुक्त खातेदारी की दर्ज रहने से भविष्य में पक्षकारान के आपस में हिस्से व कब्जे काश्त को लेकर मतभेद पैदा हो सकते है, जिससे वादी को कई प्रकार के लिटीगेशन बाहुलता होगी। फलस्वरूप वाद वादी न्यायोचित होने से स्वीकार किया जाता है।

:: आदेश ::

लिहाजा वाद वादी स्वीकार किया जाता है। राजस्व ग्राम ढाका की ढाणी पटवार हल्का ढाणिया नवलगढ़ वादी के सहखातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 491/384 के संबंध में प्रतिवादीगणो को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि विवादग्रस्त भूमि के अन्दर एवं इसके किसी भी भाग पर रास्ता/गेवल सड़क का निर्माण नही करे/करवाये उक्त कार्य ना तो स्वयं करे एव ना ही अपने अन्य आदमियों से ही करवाये। खर्चा पक्षकरान अपना-अपना वहन करेगे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। निर्णय आज दिनांक 21-10-24 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जयसिंह)

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़ (झुन्झनू)

Scanned with CamScanner

(ऑ 20 रूल्स 6–7 जाब्ता दिवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी नवलगढ जिला झुन्झुनू

मुकाम बईजलास जयसिंह(आर.ए.एस.)

दावा :

स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा सं0–06/2023 (दुर्गसिंह बनाम बोदूराम आदि)

यह मुकदमा आज वास्ते इकिमला कराई समक्ष जयसिंह (आर.ए.एस.), उपखण्ड अधिकारी नवलगढ बमौजूदगी वकील वादीगण मिनजानिब मुददई समक्ष वकील प्रतिवादीगण मनजानिब मुददालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है।

निर्णय दिनांक ____________ निर्णय अनुसार वाद वादी प्राथमिक रूप स्वीकार किया जाता है कि मौजा ग्राम ढाका की ढाणी पटवार हल्का ढाणिया नवलगढ वादी के सहखातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 481/384 के संबंध में प्रतिवादीगणो को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबनद किया जाता है कि विवादग्रस्त भूमि के अन्दर एवं इसके किसी भी भाग पर रास्ता/गेवल सड़क का निर्माण नही करे/करवाये उक्त कार्य ना तो स्वयं करे एवं ना ही अपने अन्य आदमियों से ही करवाये। खर्चा पक्षकरान अपना–अपना वहन करेंगे।

बतारीख मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख________________को जारी की गई।

जयसिंह (R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी नवलगढ

मुददई	रूपया पैसे	मुददासलह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	04.00	स्टाम्प अर्जी दावा	0.00
वकालतनामा स्टाम्प	02.00	स्टाम्प वकालतनामा	0.00
स्टाम्प दरख मजूर	–	स्टाम्प अर्जी	–
महनताना वकील	–	महनताना वकील	–
खर्चा गवाहान	–	खर्चा गवाहान	–
फीस कमिश्नर	–	फीस कमिश्नर	–
बाबत इजराय हुक्मनामा	–	बाबत इजराय हुक्मनामा	–
मुतफरिक मिजान	06.00	मुतफरिक मिजान	0.00
कुल	12.00		0.00

Scanned with CamScanner